

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-04/2025 (ई०सी०जी० टेक्नीशियन)

स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना के अधीन ई०सी०जी० टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-04/2025 के अन्तर्गत दिनांक-09.04.2026 को आयोजित दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं Application No. के साथ आयोग के Website- www.btsc.bihar.gov.in/objection-portal पर संधारित है। इस क्रम में दिनांक-29.05.2026 से 05.06.2026 के अपराह्न 06:00 बजे तक आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, अंक पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
2. सभी प्रमाण-पत्र (यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र) दिनांक-01.04.2025 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
3. विज्ञापन के कंडिका-1 में अंकित शैक्षणिक अर्हता (इन्टरमीडियट/10+2 (भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) एवं Diploma in E.C.G. Technician/Bachelor of E.C.G. Technician) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
4. (क) दस्तावेज सत्यापन में विज्ञापन की कंडिका-1(ii) में वर्णित शर्त के अनुसार Diploma in E.C.G. Technician/Bachelor of E.C.G. Technician का प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थान को उक्त कोर्स संचालन की मान्यता संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार से प्राप्त है, का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है। वैसे अभ्यर्थियों को निदेश है कि तत्संबंधी साक्ष्य Objection Portal पर Upload करना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर समीक्षोपरांत संस्थान के मान्यता के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा।

नोट(i):- कोर्स संचालित करने की मान्यता के साक्ष्य के रूप में UGC Proform/UGC Public Self Disclosure (जिसमें उक्त कोर्स का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी Para Medical Council / State Allied Medical Board आदि से वर्णित कोर्स संचालित करने की मान्यता का पत्र/अधिसूचना आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट(ii):- यदि अभ्यर्थी किसी राज्य के सरकारी Para Medical Council/State Allied Medical Board से निबंधित है तो उक्त निबंधन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ख) कतिपय संस्थानों/विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों में अंकित Courses के नाम में भिन्नता (विज्ञापन की कंडिका-1 में वर्णित कोर्स से इतर नाम) होने के कारण कतिपय अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से मान्य/योग्य की श्रेणी में रखते हुए दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया। आयोग के पत्रांक-3922 दिनांक-16.12.2025 द्वारा वैसे अभ्यर्थियों को निदेशित किया गया है कि संबंधित संस्थानों/विश्वविद्यालयों से इस आशय का प्रमाण-पत्र/साक्ष्य प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा प्राप्त शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की कंडिका-1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के पाठ्यक्रम, जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित होता है, के वर्षवार पाठ्यक्रम के अनुरूप (समरूप सत्रावधि एवं सत्रवार सदृश पाठ्यक्रम की विवेचना सहित) है।

उक्त प्रमाण-पत्र/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है। मात्र कोर्स का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाना पर्याप्त नहीं है। वैसे अभ्यर्थियों को निदेश है कि तत्संबंधी प्रमाण-पत्र/साक्ष्य Objection Portal पर Upload करना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/साक्ष्य के आधार पर समीक्षोपरांत इतर कोर्स नाम वाले शैक्षणिक योग्यता को मान्य करने के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा।

उक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर संस्थान के मान्यता एवं कोर्स के नाम में भिन्नता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा एवं अभ्यर्थी को आयोग का निर्णय मान्य होगा।

5. विज्ञापन के कंडिका-5(i)(b) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता **संविदा** के आधार पर नियोजित अभ्यर्थियों को दिया गया है।
6. विज्ञापन के कंडिका-5(i)(b) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक-**04.03.2025** तक की गई है।
7. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन की कंडिका-5(iii) के अनुसार संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा विज्ञापन की कंडिका-5(i)(b) में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
8. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
9. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
10. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र **पति** के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
11. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
12. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
13. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

- नोट- 1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।
2. **संलग्न सूची** मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।

अपर सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।